भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **2069**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं हेतु प्रोत्साहन

2069. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वर्ष 2030 तक नाइट्रोजन उपयोग दक्षता को वर्तमान 30 प्रतिशत से दोगुना करके 60 प्रतिशत करने के मिशन मोड दृष्टिकोण सहित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए प्रोत्साहनों से अजैविक उर्वरकों के उपयोग से बचा जा सकेगा और भारी मात्रा में राजसहायता की बचत होगी; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या पहल की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता मृदा के प्रकार और उगाई गई फसल के आधार पर 30 से 50% के बीच अलग-अलग होती है। शेष नाइट्रोजन मुख्यत: नाइट्रेट लीचिंग (जिससे भूजल में नाइट्रेट संदूषण 10 मिग्रा एनओ3-एन/एल की अनुमत्य सीमा से अधिक हो जाता है), डिनाइट्रीफिकेशन के माध्यम से नाइट्रस ऑक्साइड (एन2ओ) का उत्सर्जन और ग्रीन हाउस उत्सर्जन को बढ़ाने वाले वाले अमोनिया वाष्पीकरण के माध्यम से नष्ट हो जाती है। इस प्रकार, नाइट्रोजन उर्वरक की दक्षता में सुधार से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण होगा।

आईसीएआर द्वारा इन-ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक (खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद आदि) दोनों स्रोतों के मिले-जुले उपयोग, नाइट्रोजन उर्वरकों के अलग-अलग अनुप्रयोग और प्लेसमेंट, धीमी गति से रिलीज होने वाले नाइट्रोजन-उर्वरकों के उपयोग, नाइट्रिफिकेशन अवरोधकों और नीम लेपित यूरिया आदि के उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन पद्धतियों को भी विकसित किया गया है। विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव उर्वरकों के उन्नत और प्रभावी प्रकारों, तरल और पाउडर रूप दोनों, को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकार गोबरधन पहल के अंतर्गत सीबीजी/बीजी संयंत्रों में उत्पादित ऑर्गेनिक उर्वरकों नामत: किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम), तरल एफओएम, फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) के विपणन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के अंतर्गत 1,500 रु./मीटन की सहायता उपलब्ध करा रही है। इस स्कीम का कुल परिव्यय ₹1,451.84 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) है, जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए ₹360 करोड़ का कॉर्पस शामिल है। सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का समाधान होने की आशा है जिससे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आएगी।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, जैविक खेती को बढ़ावा देकर और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन अभियान का समर्थन करना है।

सरकार ने नैनो यूरिया और सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड) जैसे आधुनिक युग के उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। सल्फर लेपित यूरिया (एससीयू) को उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। सल्फर लेपित यूरिया मृदा में सल्फर की कमी को दूर करता है, आदान लागत को कम करता है और किसानों की आय को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, मृदा में नाइट्रोजन के धीमी गति से रिलीज होने के कारण सल्फर लेपित यूरिया में बेहतर नाइट्रोजन उपयोग दक्षता होती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।

*****